चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 11.02.2025

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह फरवरी, 2025 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 29.01.2025 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 14.02.2025 (शुक्रवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओ की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:––

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

   उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(**मन मोहन गौड़**)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. प्रमुख विशेषाधिकारी (टीजेके), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. उपमुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 338 दिनांक 27.01.2025 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. संभागीय आयुक्त अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर।
15. जिला कलक्टर अजमेर, ब्यावर, अलवर, खैरथल–तिजारा, बाडमेर, बालोतरा, भरतपुर, डीग, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौडगढ, चुरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, कोटपुतली–बहरोड, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, फलौदी, करौली, नागौर, कुचामन–डीडवाना, प्रतापगढ, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, उदयपुर व संलूबर।
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
20. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.02.11 10:52:36 IST
Reason: Approved

वरिष्ठ उप शासन सचिव

कार्यालय का पता – कमरा नं 1127, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन न. 0141–2925245 ई मेल आईडी – DSGAD@RAJASTHAN.GOV.IN
विभागीय वेबसाइट – WWW.GAD.RAJASTHAN.GOV.IN

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/338 दिनांकः 27/01/2025

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 — स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 29.01.2025 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 14.02.2025 को होगा। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गये हैं। आदर्श आचरण संहिता के भाग—7 की पालना सुनिश्चित करें। इस भाग—7 में वर्णित बिन्दुओं की पालना के साथ—साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय हैः—

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावे।

<u>**सलंग्नः—चुनाव कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता।**</u>

भवदीया

(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(2)(7)/पंचा/रानिआ/2024/339 दिनांकः 27/01/2025

प्रतिलिपिः संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(पंचायत) को सूचनार्थ प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

परिशिष्ट –A

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं की रिक्त पदों का विवरण

क्र.स.	जिले का नाम	जिला परिषद, प्रमुख / उप–प्रमुख / सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत समिति में		पंचायत सर्किल में			
			पंचायत समिति का नाम	प्रधान / उप–प्रधान / पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत का नाम	सरपंच	उपसरपंच	पंच वार्ड संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर		केकडी		कादेडा	सरपंच		
			केकडी		मोलकिया	सरपंच		
			सरवाड		स्यार		उपसरपंच	8
			सरवाड		सदापुर			7
	योग	0		0		2	1	2
2.	ब्यावर		रायपुर		सुमेल			8
			रायपुर		हाजीवास			6
	योग	0		0		0	0	2
3.	अलवर		लक्ष्मणगढ़		बडका			10
			लक्ष्मणगढ़		टोडानागर			11
			थानागाजी		जोधावास			7
			थानागाजी		खरकडी कलां			1
			थानागाजी		क्यारा			1
	योग	0		0		0	0	5
4.	खैरथल–तिजारा		मुण्डावर		उलाहेडी			6
			मुण्डावर		सिहाली खुर्द			2
			कोटकासिम		आकोली			2
			कोटकासिम		भौंकर			5
			तिजारा	2				
	योग	0		1		0	0	4
5.	बाड़मेर		धनाऊ		सारणों की नाडी			5
			चौहटन		नेतराड			1
			चौहटन		गोलियार			3
			बाड़मेर		जाखड़ो की ढाणी			8
			बाड़मेर		वांकलपुरा	सरपंच		
			शिव		राणेजी की बस्ती	सरपंच		
			बाड़मेर		राणीगांव			9
			चौहटन		आकोड़ा			2
	योग	0		0		2	0	6
6.	बालोतरा		बालोतरा	16				

	योग	0		1		0	0	0
7.	भरतपुर	जिला प्रमुख/8						
			नदबई	9				
			वैर	14				
			उच्चैन	प्रधान				
	योग	2		3		0	0	0
8.	डीग		डीग	12				
			नगर		बासबुर्जा			1
	योग	0		1		0	0	1
9.	भीलवाड़ा		आसीन्द		रघुनाथपुरा			13
			आसीन्द		बरसनी			6
			आसीन्द		दड़ावट			9
			सुवाणा		औज्याड़ा			6
	योग	0		0		0	0	4
10.	बीकानेर		लूणकरणसर		रावांसर			2
			बीकानेर		बरसिंहसर			2
			लूणकरणसर		चकजोहड़			5
		8						
	योग	1		0		0	0	3
11.	चितौड़गढ़	जिला प्रमुख/22						
	योग	2		0		0	0	0
12.	चूरू		राजगढ		कालरी			9
			राजगढ		रतनपुरा			1
			राजगढ		ददरेवा	सरपंच		
			तारानगर		भालेरी			2
			सरदारशहर	8				
			चूरू		थैलासर			8
			चूरू		खण्डवा पट्टा चूरू			7
			चूरू		भामासी	सरपंच		
			चूरू		घांघु			1
			रतनगढ़		सीतसर			4
			रतनगढ़		जेगणिया बीदावतान			2
			रतनगढ़		लोहा			5
	योग	0		1		2	0	9
13.	दौसा		दौसा		बाणे का बरखेड़ा			4
			महवा		ढण्ड	सरपंच		
			सिकन्दरा		गांगदवाडी			6
			बांदीकुई		धनांवड			9
			लालसोट		खेडला खुर्द			13
			लालसोट		खेडला खुर्द			5
			बांदीकुई		अनन्तवाड़ा			4
			महवा		बड़ागॉव			5
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			8
			नांगल राजावतान		ठिकरिया			9
			महवा		बडागांव		उपसरपंच	1

योग		0		0		1	1	10
14.	धौलपुर		बाड़ी		उमरेह			1
			बाड़ी		खानपुर मीना			10
योग		0		0		0	0	2
15.	जयपुर		जोबनेर		भैसावा			10
			बस्सी		विजयपुरा			15
			जमवारामगढ़		नटाटा			2
			तूंगा		काशीपुरा			5
			माधोराजपुरा		हरसूलिया			6
			सांभरलेक	13				
			सांभरलेक		हबसपुरा			2
			सांभरलेक		जयसिंहपुरा		उपसरपंच	10
			कोटखावदा		बल्लूपुरा	सरपंच		
			कोटखावदा		बल्लूपुरा		उपसरपंच	
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			1
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			2
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			3
			कोटखावदा		बल्लूपुरा			4
			तूंगा		पालावाला जाटान	सरपंच		
			तूंगा		पालावाला जाटान		उपसरपंच	
			तूंगा		पालावाला जाटान			1
			तूंगा		पालावाला जाटान			2
			तूंगा		पालावाला जाटान			3
			तूंगा		पालावाला जाटान			4
			तूंगा		पालावाला जाटान			5
			तूंगा		पालावाला जाटान			6
			तूंगा		पालावाला जाटान			7
			तूंगा		किशनपुरा			5
			तूंगा		किशनपुरा			6
			तूंगा		किशनपुरा			7
			चाकसू		थली	सरपंच		
योग		0		1		3	3	21
16.	कोटपूतली–बहरोड़		कोटपूतली		कूजोता			5
			कोटपूतली		शुक्लावास			2
			नीमराणा		सिलारपुर			10
			बानसूर		चूला			4
योग		0		0		0	0	4
17.	जैसलमेर		जैसलमेर		पारेवर		उपसरपंच	3
			मोहनगढ़		बाहला			7

			फतेहगढ़		मुलाना		उपसरपंच	2
			सांकडा		गोमट		उपसरपंच	5
			सांकडा		इन्द्रानगर			4
			फतेहगढ़		रासला			2
			सम		सम			4
	योग	0		0		0	3	7
18.	जालोर		जसवंतपुरा		गजापुरा			6
			जसवंतपुरा		रामसीन			13
			सायला	22				
			भीनमाल	4				
			भीनमाल		मोदरा			7
			जसवंतपुरा		जोडवाडा			4
			चितलवाना	4				
			चितलवाना		केरिया			13
			बागोड़ा		लाखनी	सरपंच		
			चितलवाना		चितलवाना			8
	योग	0		3		1	0	6
19.	झुन्झुनू		अलसीसर		गांगियासर			5
			चिड़ावा		सारी			5
			सिंघाना		ढ़ाढोत कलां		उपसरपंच	4
			सिंघाना		ढाणा			4
			सिंघाना		सिलारपुरी			6
			बुहाना		कुहाड़वास			5
			झुन्झुनू		बिशनपुरा			12
			खेतड़ी		बबाई			20
			खेतड़ी		डाडा फतेहपुरा			8
	योग	0		0		0	1	9
20	जोधपुर		औसिंया		थोब		उपसरपंच	2
			औसिंया		भेड़			3
			औसिंया		श्रीरामनगर			6
			औसिंया		सामराउ		उपसरपंच	10
			तिंवरी		संतोड़ा खुर्द			3
			बावड़ी		बोड़वी खुर्द			1
			बावड़ी		सोयला			1
			बावड़ी		गंगाणी	सरपंच		
			पीपाड़ शहर		बोरूंदा	सरपंच		
			पीपाड़ शहर		बोयल			5
			पीपाड़ शहर		खवासपुरा			2
			पीपाड़ शहर		जवासिया			5
			लूणी		कुड़ी भगतासनी			55
			केरू	14				
			केरू		रोहिला कलां	सरपंच		
			मण्डोर		बुधनगर			5
			केरू		सालोड़ी			6
	योग	0		1		3	2	13

21.	फलौदी		घंटियाली		नोखड़ा भाटियान		उपसरपंच	5
			बाप		राणेरी			4
योग		0		0		0	1	2
22.	करौली		हिण्डौन		कसाने का नंगला			1
			श्रीमहावीरजी		कटकड			1
			हिण्डौन		कसाने का नंगला	सरपंच		
			मासलपुर		डुकावली			8
			हिण्डौन		भंगो			9
			टोडाभीम		मडेरू			4
योग		0		0		1	0	5
23	नागौर		डेगाना		गुन्दीसर			3
			डेगाना		पुन्दलौता			9
			रियांबडी		भंवाल	सरपंच		
			रियांबडी		जसनगर			11
			भैरूंदा		लाड़पुरा			6
			भैरूंदा		डोडियाना			10
योग		0		0		1	0	5
24.	कुचामन–डीडवाना		मकराना	23				
			परबतसर		पीलवा	सरपंच		
			परबतसर		जजीला			5
			परबतसर		गूलर			2
			परबतसर		गुढ़ा			4
			डीडवाना		मण्डूकरा			8
योग		0		1		1	0	4
25.	प्रतापगढ़		छोटीसादडी		साटोला			7
			छोटीसादडी		बम्बोरी	सरपंच		
			छोटीसादडी		ईटों का तालाब		उपसरपंच	4
			दलोट		बासलाई			3
			प्रतापगढ़		अचलपुर			7
			प्रतापगढ़		असावता			4
			दलोट		सालमगढ़			1
योग		0		0		1	1	6
26.	राजसमंद		राजसमन्द	7				
योग		0		1		0	0	0
27.	सीकर		पिपराली		सिंहासन			5
			दांतारामगढ़		कुली	सरपंच		
			दांतारामगढ़		बांय			12
			लक्ष्मणगढ़	5				
			धोद		सिहोट बडी			2
			धोद		धोद			6
			धोद		जेरठी	सरपंच		
			धोद	11				
			धोद		रसीदपुरा		उपसरपंच	8
			धोद		मण्डोता			2

			अजीतगढ़	9				
योग		0		3		2	1	6
28.	सिरोही		शिवगंज		छीबागांव			2
योग		0		0		0	0	1
29	श्रीगंगानगर		सूरतगढ़		रंगमहल			3
		जिला प्रमुख / 15						
			घड़साना	6				
			अनूपगढ़		90 जीबी			13
योग		2		1		0	0	2
30.	उदयपुर		सायरा	उपप्रधान				
			सायरा	13				
			सायरा		ब्राहमणों का कलवाना		उपसरपंच	2
योग		0		2		0	1	1
31.	सलूम्बर		सेमारी		सुरखण्ड का खेड़ा			7
			सेमारी		वड़ावली			7
			सराड़ा		डेलवास			5
योग		0		0		0	0	3
कुल योग		जिला प्रमुख–3 एवं जिला परिषद सदस्य – 4	प्रधान–1, उपप्रधान – 1 एवं पंचायत समिति सदस्य – 18			20	15	143
कुल योग		7	20			20	15	143

0

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह फरवरी, 2025 – उपचुनाव कार्यक्रम

➢ **जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए**

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	29.01.2025 (बुधवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	03.02.2025 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (रविवार दिनांक 02.02.2025 को छोड़कर)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.02.2025 (बुधवार) प्रातः 11.00 बजे से
4.	नाम वापसी की तिथि एवं समय	06.02.2025 (गुरूवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	06.02.2025 (गुरूवार) **नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्**
6.	मतदान की तिथि एवं समय	14.02.2025 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5:00 बजे तक
7.	**मतगणना** **1. जिला परिषद सदस्य – जिला मुख्यालय पर** **2. पंचायत समिति सदस्य – पंचायत समिति मुख्यालय पर**	15.02.2025 (शनिवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ **जिलाप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान के लिए**

1.	**जिला प्रमुख/प्रधान की मतदान तिथि**	**16.02.2025 (रविवार)**
2.	**उपप्रधान की मतदान तिथि**	**17.02.2025 (सोमवार)**
	चुनाव के लिए समय–सारणी	
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 3.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	29.01.2025 (बुधवार)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	05.02.2025 (बुधवार) प्रातः 10.00 से सांय 5.00 तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	06.02.2025 (गुरूवार) प्रातः 10.00 से
4.	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	06.02.2025 (गुरूवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	06.02.2025 (गुरूवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6.	मतदान की तिथि एवं समय	14.02.2025 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना (ग्राम पंचायत मुख्यालय पर)	14.02.2025 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपसरपंच के लिए

1.	उपसरपंच का चुनाव	15.02.2025 (शनिवार)
	चुनाव के लिए समय–सारणी	
	बैठक हेतु नोटिस जारी करना	प्रातः 09.00 बजे से पूर्व
	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
	चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन	पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12.00 बजे तक
	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य
	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान